B.A. (Part – II) (Part – B)

POWER RESOURCES AND ENERGY CRISIS IN INDIA

भारत सरकार ने 17 अक्टूबर, 1971 को कुकिंग कोयला खदानों का व 31 जनवरी, 1973 को गैर-कुकिंग कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। वर्तमान में इस राष्ट्रीयकृत उद्योग का प्रबंध 'कोल इण्डिया लिमिटेड' और 'सिंगरैनी कोलियरीज कं० लि०' द्वारा किया जाता है। 'कोल इण्डिया लिमिटेड' की स्थापना 1 नवम्बर, 1995 को की गई थी। वर्तमान में लगभग 90% कोयला 'कोल-इण्डिया लिमिटेड' द्वारा उत्खनित किया जाता है। इसकी सात सहायक कम्पनियाँ हैं। इन कम्पनियों के नाम हैं–

(i) ईस्टर्न कोल फ़ील्ड्स लिमिटेड,
(ii) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड,
(iii) सेण्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड,
(iv) नार्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड,
(v) साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड,
(vi) महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड,
(vii) वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड।

'सिंगारैनी कोलियरीज कम्पनी लि०' केन्द्र और आन्ध्र सरकार का संयुक्त उद्यम है।

कोयला खान विधेयक, 2015 – भारत सरकार ने कोयला खान विधेयक 2015 संसद में पेश किया गया, जिसे लोक सभा ने 4 मार्च, 2015 को तथा राज्य सभा में 20 मार्च,

2015 को पारित कर दिया गया।
इस विधेयक की लोकसभा के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

(i) अनुसूची प्रथम - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किये गए सभी 204 कोयला ब्लॉक

(ii) अनुसूची द्वितीय - प्रथम अनुसूची की उपसूची में ऐसी कोयला खदानें शामिल हैं जिनमें उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है। (42 कोयला ब्लॉक)

(iii) अनुसूची तृतीय - प्रथम अनुसूची की उपसूची में ऐसी कोयला खदानें शामिल हैं जिनमें सरकार ने विशिष्ट उद्देश्य से अन्तिम उपयोग के रूप में चिह्नित किया है

आवंटन किसी एक कम्पनी या संयुक्त उपक्रम के नाम किया जाएगा।

सरकारी कम्पनी या उसके किसी संयुक्त उपक्रम को बिना नीलामी के भी कोयला ब्लॉक आवंटित किया जा सकता है।

आवंटन से प्राप्त समस्त धनराशि सरकार द्वारा नामित अधिकरण द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों में वितरित की जायगी।

कोयला ब्लॉक के पूर्व आवंटी को क्षतिपूरक भुगतान, भुगतान उसके ऊपर बकाया समस्त गदणों को चुकाकर किया जाएगा, क्षतिपूर्ति आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी।

विवादों का निपटारा कोयला सघन क्षेत्र अधिनियम 1957 के अधीन गठित न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा।

भारत मे कोयला उद्योग की समस्याएँ

भारत मे कोयला उद्योग के सम्मुख समस्याएँ निम्नलिखित है।

(1) कोयले की खदानों का असन्तुलित वितरण :→ देश मे कोयले की खदानों का वितरण सन्तुलित नही है। कुछ भागो मे कोयले का नितान्त अभाव है।
उन क्षेत्रो मे समुचित औद्योगिक प्रगति सम्भव नही हो सकी है। कोयले की अधिकांश खदाने बिहार और पश्चिम बंगाल मे केन्द्रित है और देश के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग इन क्षेत्रो से बहुत दूर पड़ते है, इन क्षेत्रो से कोयला मँगाना अत्यधिक महँगा पड़ता है।

(2) श्रम की समस्या :→ खदान खोदना अत्यधिक परिश्रम का कार्य है। भारतीय खदानो मे कार्य की दशा अभी बहुत अधिक अच्छी नही है कम लोग इस व्यवसाय की ओर आकर्षित होते है। यद्यपि खदानो के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् श्रम पूर्ति की दिशा मे बहुत थोड़ा सा सुधार हुआ है।
कोयला खदानो मे कार्य करने वाला श्रमिक आज भी अपने को असुरक्षित अनुभव करता है।

(3) ~~श्रम~~ यातायात की समस्या :→ कोयला उद्योग को यातायात की समुचित सुविधा प्राप्त नही है, उसे अत्यधिक कठिनाई का सामना करना

पड़ता है।
देश मे कोयले की बढ़ती माँग को पूरा करने मे यातायात की समस्या प्रमुख व्यवधान है। देश बहुत विशाल है।
सम्पूर्ण देश मे उद्योग - धन्धे बिखरे हुए है और उन सबको कोयले की आवश्यकता पड़ती है।
यातायात की असुविधा के कारण कोयले को एक स्थल से दूसरे स्थान तक ले जाना अत्यधिक कठिन कार्य है।

(4) धातुशोधक कोयले का उचित प्रयोग: →
भारत मे धातु शोधक कोयले की अत्यधिक कमी है। इस प्रकार के कोयले का बचाव रखना अति - आवश्यक है।
धातुशोधक कोयले का उपयोग केवल धातुशोधक कार्यों मे ही किया जाए।
देश मे कच्चे लोहे की विशाल राशि सुरक्षित है, धातुशोधक कोयले को बचाए रखना अति आवश्यक है।
उसका उपयोग वाष्प बनाने और घरेलु कार्यों के लिए नही किया जाना चाहिए।

विद्युत
विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक गतिशील साधन है यह आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है।
उद्योग एवं कृषि दोनो ही क्षेत्रो मे विद्युत की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
आज विद्युत मानव सभ्यता का एक

अभिन्न अंग बन गई है।
जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप पंगु-सा प्रतीत होता है। विद्युत् निम्न चार प्रकार से बनायी जाती है—

(1) जल,
(2) कोयला,
(3) पेट्रोलियम तथा
(4) परमाणु शक्ति।

Scanned with CamScanner